Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIII (53), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में बाल श्रम की समस्या

सोनाली चौहान*

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय आदर्श महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – बाल श्रम भारत की एक गंभीर और जटिल सामाजिक समस्या है, जो बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। आर्थिक असमानता, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी तथा सामाजिक जागरूकता की कमी इसके प्रमुख कारण हैं। यद्यपि भारत सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए अनेक कानून और योजनाएँ लागू की हैं, फिर भी यह समस्या पूर्णत: समाप्त नहीं हो पाई है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में बाल श्रम की स्थिति, इसके कारणों, प्रभावों, सरकारी प्रयासों तथा बाल श्रम उन्मूलन में समाज कार्य की भूमिका का विस्तृत अध्ययन किया गया है। अध्ययन यह निष्कर्ष निकालता है कि जब तक सरकार, समाज और समाज कार्यकर्ता मिलकर समन्वित प्रयास नहीं करेंगे, तब तक बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन संभव नहीं है।
शब्द कुंजी – बाल श्रम, सामाजिक समस्या, बाल अधिकार, समाज कार्य, शिक्षा, भारत।

प्रस्तावना – बाल्यावस्था मानव जीवन का वह चरण है जिसमें व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है। यह समय शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक मूल्यों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय संविधान बच्चों को समान अवसर, नि:शुल्क शिक्षा और शोषण से सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है, किंतु व्यवहार में इन अधिकारों का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। भारत में आज भी बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने के बजाय विभिन्न प्रकार के श्रम कार्यों में लगे हुए हैं।

बाल श्रम केवल बच्चों की व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि यह समाज की संरचनात्मक विफलताओं को भी दर्शाता है। गरीबी, सामाजिक असमानता और कमजोर संस्थागत व्यवस्था इस समस्या को बढ़ावा देती हैं। समाज कार्य का उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर उनके समाधान के लिए व्यावहारिक हस्तक्षेप करना है, इसलिए बाल श्रम समाज कार्य के अध्ययन और व्यवहार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

भारत जैसे विकासशील देश में बाल श्रम एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है। औद्योगीकरण, शहरीकरण और असंगठित क्षेत्र के विस्तार ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। समाज कार्य का मूल उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का समाधान कर मानव कल्याण को बढ़ावा देना है, इसलिए बाल श्रम समाज कार्य का एक प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है।

बाल श्रम की अवधारणा – बाल श्रम से तात्पर्य ऐसे कार्य से है, जिसमें बच्चों से उनकी उम्र, क्षमता और अधिकारों के विरुद्ध श्रम कराया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, ऐसा कोई भी कार्य जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या नैतिक विकास में बाधा उत्पन्न करे, बाल श्रम कहलाता है।

भारतीय कानून के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य कराना पूर्णत: निशिद्ध है तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है।

भारत में बाल श्रम की स्थिति – भारत में बाल श्रम मुख्यत: असंगठित क्षेत्र में पाया जाता है। बच्चे कारखानों, ईंट-भट्टों, कालीन उद्योग, कृषि, घरेलू कार्य, ढाबों, सड़क किनारे दुकानों और भिक्षावृत्ति जैसे कार्यों में लगे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में तथा शहरी क्षेत्रों में घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों में बाल श्रम अधिक देखने को मिलता है।

हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी प्रयासों के कारण बाल श्रम में कुछ कमी आई है, फिर भी यह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

साहित्य समिक्षा

त्रिपाठी मधुसूदन बाल अधिकार तथा बाल शोषण पुस्तक में लिखते है कि विश्व में गरीबी, रुढियों, युद्ध, राजकीय अक्षमता, संवेदनाहीन मुद्रा, केन्द्रिय प्रवृत्ति आदि के चलते करोडों बच्चे समस्त प्रकार के शोषण व उत्पीडन का शिकार हो रहे हैं। जीने के अधिकार, विकास के अधिकार, सुरक्षा के अधिकार और सहभागीता के अधिकार से वंचित ये बच्चे बाल्यावस्था में ही जटिल एवं दुरह जिंदगी जीने के लिए विवश होते हैं। इनमे से कुछ परिवार की भूख मिटाने के लिए बाल श्रमिक के रूप बदनाम हो जाते हैं।

निशांत सिह- बाल शोषण एवं बाल श्रम पुस्तक में लिखते है कि वस्तुत: बालक हमारे भविष्य हैं और कल की नींव इन बच्चों के कंधों पर ही टिकी होगी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बच्चों को बाल श्रम ने बुरी तरह से चपेट में ले लिया है। वास्तव मे बाल श्रम एक सामाजिक समस्या है जो हमारे भविष्य को दीम की तरह चट कर रही है।

आर्य दीप्ति भारतीय बालक सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण पुस्तक में भारतीय बालकों के समग्र विकास की विवेचना की गयी है। भारतीय बालको के सोशल ऑडिट के रूप में लिखा हैं।

उदेश्य:

1. बाल श्रम के प्रमुख कारणो को देखना।
2. बाल श्रम की स्थिति का अध्ययन।

शोध प्रविधि – द्वितीयक शोध पद्धति का उपयोग किया गया।

बालक, बाल श्रम और संविधान – भारत सरकार 12 नवंबर, 1992 को संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा बाल अधिकारो (20 नवंबर 1989) के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर चुकी है। भारत की जनगणना में 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति

को बालक माना जाता है। भारतीय संविधान में भी उस व्यक्ति को बच्चा माना गया है जिसकी आयु 14 वर्ष से कम होती है।

बाल श्रम का अर्थ है बच्चों से कोई व्यवसायिक कार्य कराना, फिर चाहे उसमें उनकी सहमति हो या न हो। बाल श्रम वास्तव में बचपन के खिलाफ किया गया एक सामाजिक अपराध है, क्योंकि इसके कारण बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता हैं। हालांकि हमारे देश में बाल श्रम के सभी रूपों को पूरी तरह से प्रतिबन्धित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी करोडों बच्चों से देशभर में कराया जा रहा हैं

बाल श्रम के प्रमुख कारण :

1. **गरीबी –** गरीबी बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण है। आर्थिक तंगी के कारण माता-पिता बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
2. **अशिक्षा –** अशिक्षित माता-पिता शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते और बच्चों को कम उम्र में ही श्रम कार्यों में लगा देते हैं।
3. **बेरोजगारी –** जब वयस्कों को रोजगार नहीं मिलता, तो परिवार की आय बढ़ाने के लिए बच्चों को काम करना पड़ता है।
4. **जनसंख्या वृद्धि –** बड़े परिवारों में सभी बच्चों की शिक्षा और पालन-पोषण करना कठिन हो जाता है।
5. **सस्ती मजदूरी की माँग –** नियोक्ता बच्चों से कम वेतन पर अधिक काम करवाते हैं, जिससे बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है।
6. **कानूनों का कमजोर क्रियान्वयन –** बाल श्रम विरोधी कानून होने के बावजूद उनका सही ढंग से पालन नहीं हो पाता।

बाल श्रम के प्रकार:

1. औद्योगिक बाल श्रम
2. कृषि क्षेत्र में बाल श्रम
3. घरेलू बाल श्रम
4. सड़क पर कार्यरत बच्चे
5. खतरनाक कार्यों में संलग्न बाल श्रम
6. बाल श्रम के दुष्परिणाम

बाल श्रम का प्रभाव:

1. अत्यधिक श्रम से बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है और वे विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते हैं।
2. लगातार तनाव, भय और शोषण के कारण बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित होता है।
3. बाल श्रम के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है।
4. बाल श्रम सामाजिक असमानता और अपराध को बढ़ावा देता है।
5. शिक्षित और कुशल मानव संसाधन की कमी देश के विकास को प्रभावित करती है।

सरकारी प्रयास बाल श्रम उन्मूलन में:

1. बाल श्रम उन्मूलन हेतु सरकारी प्रयास
2. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधन 2016)
3. नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
4. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)
5. समग्र शिक्षा अभियान
6. मिड-डे मील योजना

बाल श्रम उन्मूलन में समाज कार्य की भूमिका – समाज कार्यकर्ता बाल श्रम उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे समुदाय में जागरूकता फैलाते हैं, बच्चों को शिक्षा से जोड़ते हैं, परिवारों को परामर्श देते हैं तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता करते हैं। गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से बाल श्रमिकों का पुनर्वास और कौशल विकास भी समाज कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष है।

समाधान एवं सुझाव:

1. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रभावी बनाना।
2. शिक्षा को रोजगारोन्मुख और व्यावहारिक बनाना।
3. बाल श्रम कानूनों का कठोर पालन।
4. समाज में जागरूकता अभियान।
5. समाज कार्यकर्ताओं और एनजीओ की भूमिका को सशक्त बनाना।

निष्कर्ष – बाल श्रम भारत की एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जिसका प्रभाव केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र पर पड़ता है। इस समस्या का समाधान केवल कानूनों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सुधार आवश्यक हैं। समाज कार्य की सक्रिय भूमिका, सरकारी प्रयासों और सामाजिक सहभागिता से ही भारत को बाल श्रम मुक्त बनाया जा सकता है।भारत में बाल श्रम एक जटिल सामाजिक समस्या है, जिसकी जड़ें गरीबी और अशिक्षा में हैं। केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकार, समाज और समाज कार्यकर्ताओं के संयुक्त प्रयास से ही इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है। जब हर बच्चे को शिक्षा और सुरक्षित बचपन मिलेगा, तभी राष्ट्र का सच्चा विकास होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आहूजा राम, आहूजा मुकेश (2015) विवेचनात्मक अपराधशास्त्र, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
2. आर्य दीप्ति (2012) भारतीय बालक-सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
3. त्रिपाठी मधुसूदन (2011) बाल अधिकार तथा बाल शोषण, खुशी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
4. निशान्त सिंह (2015) बाल शोषण एवं बाल श्रम, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

****